न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 64/2023 दर्ज दिनांक 31.10.2023

फैसल दिनांक 14.08.2024

1 ईश्वर पिता रतना लौहार निवासी झलाई तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर राज.।

–वादी

बनाम

1 जयन्ति पिता रतना लौहार
2 बाबुलाल पिता जेथु डामोर
3 सबीलाल पिता रतना लौहार
   3/1 श्रीमती लीला देवी पत्नी सबीलाल
   3/2 राधा देवी पत्नी महेन्द्र
   3/3 आंशिक पिता महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षक राधा देवी
   3/4 अंकुश पिता महेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षक राधा देवी
4 हरीश पिता प्रभा जाति लौहार निवासीयान झलाई तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर राज.।
5 भूमिधारी तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय, तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर राज.।

–प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53 व 209 राज.काश्त.अधि.
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित:–
अधिवक्ता वादी :– श्री विरेन्द्रसिंह चौहान।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :– श्री श्रवण रावल।
राज्य सरकार की ओर से राजकीय पेरोकार।

: निर्णय :

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 एक ही परिवार के है। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जेशुदा खातेदारी आराजी मौजा झलाई में खाता संख्या 234, खसरा नम्बर 1131, 1135, 1160, 1189, 800, 927 कुल खेत किता 6 कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा रणभाटीया में खाता संख्या 165, खसरा नम्बर 142 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 46, खसरा नम्बर 141 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त नामों से दर्ज रिकॉर्ड है। वादी ने प्रतिवादीगण से मौके पर कब्जे व हिस्से के अनुसार खातों को अलग अलग करने की बात की तो प्रतिवादीगण ने संतोषप्रद जवाब नहीं देकर खातों को अलग नहीं करना कहकर वादी से अकारण विवाद किया। प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से मना कर दिया। वादी ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादी की ओर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक है कि वे वादी को अपने संयुक्त खातेदारी आराजी मौजा झलाई में खाता संख्या 234, खसरा नम्बर 1131, 1135, 1160, 1189, 800, 927 कुल खेत किता 6, कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा रणभाटीया में खाता संख्या 165, खसरा नम्बर 142 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 46. खसरा नम्बर 141 कुल खेत किता 1. कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर में वादी को अपने हिस्से पर उपयोग उपभोग में रूकावट न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेन्ट से करावे। वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जेशुदा खातेदारी आराजी मौजा झलाई में खाता संख्या 234, खसरा नम्बर 1131, 1135, 1160, 1189, 800, 927 कुल खेत किता 6. कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा रणभाटीया में खाता संख्या 165, खसरा नम्बर 142 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 46 खसरा नम्बर 141 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर दर्ज कर अलग अलग खाते में कायम किये जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण रावल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 03 की मृत्यु हो जाने से कायम मुकाम हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया गया। कायम मुकाम को तलब किया गया, जिसपर मृतक सबीलाल के वारिसान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण रावल ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर सभी पक्षकारगण आपसी बंटवारा कर काबिज हैं। मौके पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में बंटवारा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया।

:: आदेश ::

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा झलाई में खाता संख्या 234, खसरा नम्बर 1131, 1135, 1160, 1189, 800, 927 कुल खेत किता 6 कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर, मौजा रणभाटीया में खाता संख्या 165, खसरा नम्बर 142 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि एवं मौजा झलाई में खाता संख्या 46, खसरा नम्बर 141 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर भूमि का मौके पर किये गये बंटवारे एवं हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को हिस्सा देते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब प्रस्तुत करें। प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

बंटवारे के वाद में प्राथमिक डिक्री

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखण्ड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 64/2023 निर्णय दिनांकः– 14.08.2024

ईश्वर बनाम जयन्ति वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 53 व 209 राज.काश्त.अधि.
सपठित धारा 151 जा.दी.

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–
मिनजानिब मुदई श्री विरेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित व मुदायलाह श्री श्रवण रावल उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा झलाई में खाता संख्या 234, खसरा नम्बर 1131, 1135, 1160, 1189, 800, 927 कुल खेत किता 6 कुल रकबा 0.9632 हैक्टेयर, मौजा रणभाटीया में खाता संख्या 165, खसरा नम्बर 142 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7770 हैक्टेयर भूमि एवं मौजा झलाई में खाता संख्या 46, खसरा नम्बर 141 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 0.7932 हैक्टेयर भूमि का मौके पर किये गये बंटवारे एवं हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को हिस्सा देते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब प्रस्तुत करें।
दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.08.2024 को डिक्री जारी की गई।

दस्तखत. उपखण्ड अधिकारी . . . .
ओहदा . . . सीमलवाड़ा . . . .

मुदई	रूपया/पैसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner